Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 6, May-2019, ISSN 2230-7540

राष्ट्रपति पद के गणराज्यों में लोकतंत्र का एक तुलनात्मक अध्ययन

Dr. Gautam Veer*

Principal, BSM PG College, Roorkee

सार – *भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में सबसे प्रतिष्ठित पद राष्ट्रपति का है। लेकिन, पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, उससे इस पद की गरिमा कम हुई है। राष्ट्रपति की अपनी कोई विशिष्ट विचारधारा नहीं होती, वह तो समय एवं परिस्थितियों के अनुसार, जो बात देश के हित में हो, वही उसकी विचारधारा और सिद्धांत बन जाती है। भारतीय गणराज्य के संविधान में सभी नागरिकों को समता और समानता का अधिकार है, फिर वह दलित हो या ब्राह्मण, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सभी को यह अधिकार है।*

----------X----------

भूमिका

हमारा संविधान जाति, धर्म, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव की बात नहीं करता है। फिर महामहिम जैसे प्रतिष्ठित पद के लिये दलित शब्द की बात करना, इस पद की गरिमा को खंडित करना ही कहा जाएगा।

राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहा जाता है, करता है। संविधान के अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन है। यानी जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करती, बल्कि उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। चूँकि जनता राष्ट्रपति का चयन सीधे नहीं करती है, इसलिए इसे परोक्ष निर्वाचन कहा जाता है।

भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं एवं संघराज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और लोक सभा तथा राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं।

एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ध्यातव्य हो कि भारत में 9 राज्यों में विधान परिषदें आस्तित्व में हैं लेकिन राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही करते हैं।

भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में एक विशेष तरीके से वोटिंग होती है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। सिंगल वोट यानी मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। अर्थात् वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी, तीसरी कौन।

यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सका, तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। इसलिये इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है।

उल्लेखनीय है कि वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के मतों की प्रमुखता भी अलग-अलग होती है। इसे 'वेटेज़' भी कहा जाता है। दो राज्यों के विधायकों के वोटों का 'वेटेज़' भी अलग-अलग होता है। यह 'वेटेज़' राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है और यह 'वेटेज़' जिस तरह तय किया जाता है, उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

- 26 जनवरी, 1950 को संविधान के अस्तित्व में आने के साथ ही देश ने 'संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य' के रूप में नई यात्रा शुरू की। परिभाषा के मुताबिक गणराज्य (रिपब्लिक) का आशय होता है

www.ignited.in

कि राष्ट्र का मुखिया निर्वाचित होगा, जिसको राष्ट्रपति कहा जाता है।

- राष्ट्रपति की शक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं; अनुच्छेद 53: संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसकी अपनी सीमाएँ भी हैं;

  1. यह संघ की कार्यपालिका शक्ति (राज्यों की नहीं) होती है, जो उसमें निहित होती है।
  2. संविधान के अनुरूप ही उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।
  3. सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से की जाने वाली शक्ति का उपयोग विधि के अनुरूप होना चाहिये।

- अनुच्छेद 72 द्वारा प्राप्त क्षमादान की शक्ति के तहत राष्ट्रपति, किसी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, निलंबन, लघुकरण और परिहार कर सकता है। मृत्युदंड पाए अपराधी की सज़ा पर भी फैसला लेने का उसको अधिकार है।

- अनुच्छेद 80 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्य सभा के लिये मनोनीत कर सकता है।

- अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

- अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।

- वहीं अनुच्छेद 360 के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय संकट की दशा में वित्तीय आपात की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को है।

- राष्ट्रपति कई अन्य महत्त्वपूर्ण शक्तियों का भी निर्वहन करता है, जो अनुच्छेद 74 के अधीन करने के लिए वह बाध्य नहीं है। वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किये गए बिल को अपनी सहमति देने से पहले 'रोक' सकता है। वह किसी बिल (धन विधेयक को छोड़कर) को पुनर्विचार के लिये सदन के पास दोबारा भेज सकता है।

- अनुच्छेद 75 के मुताबिक, 'प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही सरकार बनाने के लिये लोगों को आमंत्रित करता है। ऐसे मौकों पर उसकी भूमिका निर्णायक होती है

राष्ट्रपति पद की गरिमा का सवाल

- सत्ता और प्रतिपक्ष को आम सहमति बनाकर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करना चाहिये था, लेकिन यह पहल नहीं की जा सकी। महामहिम की कुर्सी पर विराजमान होने वाला व्यक्ति भारतीय गणराज्य और संप्रभु राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है। संवैधानिक व्यवस्था में उसका उतना ही सम्मान और अधिकार संरक्षित है, जितना इस परंपरा के दूसरे व्यक्तियों का रहा है।

- आज दलित उम्मीदवार को लेकर दोनों पक्षों से जो राजनीति देखने को मिल रही है, उससे इस पद की गरिमा को ठेस ही पहुँची है। राजनैतिक दलों को यह समझना चाहिये कि दलित शब्द जुड़ने मात्र से इस पद की गरिमा नहीं बढ़ जाएगी और न ही राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों में कोई बदलाव आएगा और न ही राष्ट्रपति को असीमित अधिकार मिल जाएंगे।

- दशकों से दबे-कुचले और शोषित समाज से संबंध रखने वाला व्यक्ति यदि किसी संवैधानिक पद पर आसीन होता है तो उस समाज में आशा की एक लहर दौड़ जाती है और लोकतंत्र में उनका विश्वास मज़बूत होता है, लेकिन यहाँ समस्या यह है कि दोनों ही पक्ष दलित उम्मीदवार लेकर आए हैं और समूचे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है।

www.ignited.in

मौलिक अधिकार देश की राजनीतिक प्रणाली में एक दल विशेष की तानाशाही होने से रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करते हैं। इनके द्वारा एक ओर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कानून द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जाता है और दूसरी तरफ नागरिकों को शासन के स्वेच्छाचारी संचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण हेतु उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार मौलिक अधिकार नागरिकों को न्याय और समुचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करते हैं और राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। ये अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के मापदण्ड और संरक्षक दोनों ही हैं।

जवाहरलाल नेहरू ने अपने सुप्रसिद्ध **उद्देश्य-प्रस्ताव** में यह कहा था कि संविधान का लक्ष्य एक ऐसे गणतंत्र की स्थापना का होना चाहिए, जिसमे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक न्याय की व्यवस्था हो। इसी **उद्देश्य-प्रस्ताव** से संविधान की प्रस्तावना का जन्म हुआ और इसी में मूलभूत अधिकारों का सार निहित है।

मौलिक अधिकारों के विचार का सूत्रपात वर्ष 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से हुआ। हालांकि फ्रांस की राज्य क्रांति से विश्व की स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश मिला। फ्रांस में 1789 के संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल करके व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक कुछ अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की गई। इसके पश्चात् 1791 में अमेरिका के संविधान में संशोधन करके **अधिकार पत्र** को सम्मिलित किया गया।

भारत में मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता भी विश्व के इन देशों द्वारा **अधिकारों का घोषणा-पत्र** जारी करने के पश्चात् उत्पन्न हुई। वास्तव में ये घोषणा-पत्र ही भारतीय जन-मानस के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। सर्वप्रथम भारत में मौलिक अधिकारों की घोषणा के लिए 1895 में मांग की गई। भारत में अंग्रेजी राज्य का स्वरूप पूर्णतः स्वेच्छाचारी था। इस स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति के कारण अंग्रेजी सरकार लोगों पर मुकदमा चलाए, बिना उन्हें नजरबंद कर देती थी। इन अत्याचारों की प्रतिक्रियास्वरूप स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने मूल अधिकारों की मांग पर जोर देना प्रारंभ कर दिया था।

भारतीय संविधान के भाग-III में सम्मिलित मूल अधिकारों और अन्य भाग में अंतर्विष्ट मर्यादाओं से उत्पन्न होने वाले ऐसे अधिकारों (न्याय निर्णय के क्षेत्र से बाहर के अधिकारों को छोड़कर उदाहरणार्थ **राज्य के नीति-निदेशक तत्व** जो भाग-IV में है) के बीच, जो समान रूप से न्यायालय द्वारा प्रवृत्त कराए जा सकते हैं, क्या विभिन्नता है? इन दोनों वर्गों के अधिकार समान रूप से न्यायाधीन हैं, उच्चतम न्यायालय में सीधे आवेदन करके अनुच्छेद 32 के अधीन उपचार पाने का अधिकार भाग-III में मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। यह उपचार मूल अधिकार की दशा में ही उपलब्ध होता है। यदि अधिकार संविधान के किसी अन्य उपबंध से प्राप्त होता है, उदाहरण के लिए अनुच्छेद 265 या अनुच्छेद 301,तो व्यथित व्यक्ति सामान्यवाद लाकर या उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अधीन आवेदन देकर अनुतोष प्राप्त कर सकेगा किंतु अनुच्छेद 32 के अधीन आवेदन नहीं हो सकेगा जब तक कि ऐसे अधिकार के अतिक्रमण के कारण मूल अधिकार का उल्लंघन न होता हो।कुछ संविधानों में मूल अधिकार सांविधानिक संशोधन द्वारा परिवर्तित नहीं किए जा सकते। **मूल** शब्द से यह ध्वनि भी निकलती है। दूसरे अर्थ में संविधान के अन्य उपबंधों की तुलना में उन्हें उच्चतर स्थान प्रदान किया जाता है किंतु संविधान में यह सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया है। संविधान के संशोधनों से और न्यायिक विनिश्चयों से यह निर्वचन प्राप्त होता है।यह ठीक है कि संविधान के किसी भाग को सामान्य विधान द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता जब तक कि स्वयं संविधान में इसके लिए प्राधिकार न दिया गया हो। किंतु संविधान के सभी भाग, मूल अधिकार सहित, अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन अधिनियम पारित करके संशोधित किए जा सकते हैं किंतु आधारिक लक्षणों में संशोधन नहीं हो सकता।

निष्कर्ष

- इसमें कोई शक नहीं है कि दलित पिछड़ों और समाज के सबसे निचली पायदान के लोगों का सामाजिक उत्थान होना चाहिये और उन्हें समाज में बराबरी का सम्मान मिलना चाहिये। ऐसे लोगों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास होना चाहिये, लेकिन राजनीति में जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय की माला नहीं जपी जानी चाहिये।
- दरअसल, भारतीय राजव्यवस्था में संसद को जो विशेषाधिकार हैं, वह राष्ट्रपति को नहीं है। महामहिम दलितों के लिये कोई अलग से कानून नहीं बना पाएंगे।

www.ignited.in

सन्दर्भ

चैबे कमल नयन जातियों का राजनीतिकरण, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली 2008 पृ. 34

आहुजा राम भारतीय सामाजिक व्यवस्था रावत प्रकाशन, जयपुर 2014 पृ. 202

श्रीनिवास एम. एन. कास्ट इन माडर्न इण्डिया एण्ड अदर प्रकाशन बम्बई 2012 पृ. 66

हट्न जे. एच. कास्ट इन इण्डिया: इट्स नेचर फंक्शन एण्ड ओरिजिन, आक्सफोर्ड यूनवर्सिटी प्रैस बम्बई, 2011 पृ. 69

राजक्यिोर (संपा.) जाति प्रथा का विकास, आज के प्रयन, जाति का जहर, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014 पृ. 15-16

मुखर्जी, राम कृष्ण; "कास्ट इन इटसैल्फ कास्ट एण्ड क्लास और कास्ट इन क्लास इकोनामिक एण्ड पालिटिकल वीकली, वा. नं. 27, 3 जुलाई 2015 पृ. 175

दत्त एन.के. ओरिजिन एण्ड ग्रोथ आफ कास्ट इन इण्डिया हिन्दुस्तान प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011 पृ. 4

घुर्ये जी.एस. कास्ट क्लास एण्ड आक्यूशन पापूलर प्रकाशन बम्बई 2013 पृ. 27

Corresponding Author

Dr. Gautam Veer*

Principal, BSM PG College, Roorkee

www.ignited.in